कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 2075 /मुरादाबाद/23468/2017, दिनांक, लखनऊ, जनवरी 05 , 2018

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषय : मुरादाबाद–बरेली–लखनऊ मार्ग (छ्भ्24) किमी0 163 से 164 के मध्य बायीं पटरी पर ग्राम–मुस्तफाबाद के खसरा सं0–196/03 में सिटी एनर्जी लि0, मुरादाबाद द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.1009 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 02 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ : भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यूपी/09/69/2017/एफसी/115, दि0 18.10.2017,
उ0प्र0शासन का पत्रांक–भा.स.–288/14–2–2017–800(109)/2017, दि0 14.11.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा इंगित सूचनाओं व अभिलेखों को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव उ0प्र0शासन को वापस उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुयी थीं। सूचनाओं को पूर्ण करने की कार्यवाही सम्बन्धित कार्यालय व प्रयोक्ता एजेंसी से अपेक्षित थी।

उक्त के कम में बिन्दु–2ए, 3 व 4 का निराकरण वन संरक्षक, मुरादाबाद के पत्रांक–1857/14–1, दिनांक 08.12.2017 द्वारा तथा शेष अन्य बिन्दुओं का निराकरण वन संरक्षक, मुरादाबाद के पत्रांक–2128/14–1, दिनांक 04.01.2018 द्वारा करके संशोधित प्रस्ताव की प्रतियाँ इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। अतः उक्त पत्र एवं प्रस्ताव की दो प्रतियाँ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि प्रकरण में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:प्रस्ताव की दो प्रतियाँ।

भवदीय,

(आर0 आर0 जमुआर)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– / ,उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
2– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुरादाबाद।
3– उपमहाप्रबन्धक, सिटी एनर्जी लि0, मुरादाबाद।

(आर0 आर0 जमुआर)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।